संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, ब्लॉक–ए, नया रायपुर

//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 10/07/2017

क्रमांक एफ : 01–131/2014/ 990 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षित नियम–1990 के नियम–4 के उपबंध–2, भाग–ख के प्रावधान के तहत् निम्नलिखित चिकित्सा विशेषज्ञों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–05 में दर्शाई गई तिथि से निहित शर्तों के अधीन **चिकित्सा विशेषज्ञ** सेवा संवर्ग में देय "**वरिष्ठ प्रवर श्रेणी**" वेतनमान रूपये 37400–67000 ग्रेड वेतन 8900/– स्वीकृत करता है:–

विचारनीय सूची	वरिष्ठता सूची कमांक 2015 अंतिम	विशेषज्ञों के नाम	पद नाम	जन्म तिथि	वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक	वेतन श्रेणी देय दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	6	डॉ.महेन्द्र कुमार दिवाकर	सर्जरी विशेषज्ञ	**26.09.52**	15.07.91	**01.01.2013**
2	10	डॉ.शांतिलाल चावड़ा	शिशुरोग विशेषज्ञ	**28.04.52**	15.07.91	**01.01.2013**
3	16	डॉ.टी.के. अग्रवाल	मेडीसिन विशेषज्ञ	**04.07.52**	13.12.94	**01.01.2013**
4	18	डॉ.श्रीमती छाया तिवारी	स्त्रीरोग विशेषज्ञ	31.07.57	13.12.94	**01.01.2014**
5	21	डॉ.गंभीर सिंह ठाकुर	रेडियोलॉजी विशेषज्ञ	13.04.56	13.04.00	**01.01.2017**
6	26	डॉ.राजेन्द्र प्रसाद नोन्हरे	सर्जरी विशेषज्ञ	24.10.53	13.04.00	**01.01.2017**
7	27	डॉ.श्रीमती मधु श्रीवास्तव	स्त्रीरोग विशेषज्ञ	**18.08.53**	13.04.00	**01.01.2017**
8	29	डॉ.विमल प्रसाद खुंटे	स्त्रीरोग विशेषज्ञ	01.04.58	13.04.00	**01.01.2017**
9	31	डॉ.आनंदराम गोटा	अस्थिरोग विशेषज्ञ	12.06.57	30.03.03	**01.201.2017**

2/ उक्त वेतनमान स्वीकृत किये गये चिकित्सा विशेषज्ञ के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के परिपत्र क्रमांक 642/661/03/वि/नि/चार, दिनांक 21.08. 2003 एवं समय–समय पर जारी निर्देश/शर्तो अनुसार छः वर्ष की नियमित रूप से की गई सेवा की गणना करते हुये की जाये। यदि सेवा की कोई कालावधि डाईजनॉन की गई है तो उक्त डाईजनॉन की कालावधि, छः वर्ष की नियमित सेवा की कालावधि में शामिल नही की जावेग

3/ राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 1–10/2013/सत्रह/एक, रायपुर, दिनांक 01/04/2013 के अनुसार चिकित्सा विशेषज्ञों को दिनांक 01 जनवरी, 2013 से चार स्तरीय वेतनमान की स्वीकृति अनुसार प्रदान किया जाता है। यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 89/एफ 1002164/वित्त/नियम/चार/2013, दिनांक 18.03.2013 द्वारा दी गई सहमति से जारी की गई है।

4/ यदि किसी चिकित्सा विशेषज्ञ को उक्त वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने की तिथि के पूर्व की सेवा के किसी कालावधि को अनाधिकृत अनुपस्थिति का निराकरण संचालनालय/राज्य शासन स्तर पर किया जाना शेष हो तो उक्त वेतनमान का लाभ अनाधिकृत अनुपस्थिति की कालावधि के निराकरण के प्श्चात् तथा प्रकरण में लिये गये निर्णय के अधीन देय होगी।

5/ यदि उक्त वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा विशेषज्ञ के विरूद्व विभागीय जांच लंबित है, तो वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में वेतन का निर्धारण विभागीय जांच के निराकरण के बाद और विभागीय जांच के अंतिम आदेश के अधीन किया जावेगा।

6/ यदि कोई चिकित्सा विशेषज्ञ वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने की तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुका हो, त्यागपत्र दिया गया हो अथवा नियमित पदोन्नति हो चुकी हो तो ऐसे चिकित्सा विशेषज्ञों को उक्त वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा।

7/ वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा विशेषज्ञ में से जो वर्तमान में नियमित उच्च पद अथवा समतुल्य पद अथवा वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं, उन्हें वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ अन्य समतुल्य अथवा वरिष्ठ पद पर नियुक्ति के दिनांक तक ही प्राप्त होगा और अन्य वरिष्ठ पद पर नियुक्ति के दिनांक से पदोन्नत पद के वेतनमान में मूलभूत नियम के अनुसार वेतन निर्धारण किया जावेगा।

8/ वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्राप्त करने वाले चिकित्सा विशेषज्ञ में से यदि किसी चिकित्सा विशेषज्ञ को वरिष्ठ पद पर तदर्थ पदोन्नति प्रदान की गई हो तो (वर्तमान में नियमित हो गये हो अथवा न हुये हों) तो उन्हें चिकित्सा विशेषज्ञ के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ निम्नांकित अनुबंध संपादित करने के बाद ही दिया जाये :–

(क) यदि तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति तिथि वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान की स्वीकृति के तिथि से बाद की है और यदि उसे तदर्थ नियुक्ति के तिथि से नियमित नियुक्ति मान्य की जाती है तो वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का आदेश निरस्त माना जाकर वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के कारण भुगतान की गई राशि नियमानुसार शासकीय कोषालय में जमा किया जाना होगा।

(ख) यदि तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति की तिथि वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान की स्वीकृति के बाद की है और यदि उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से नियमित नियुक्ति की जाती है तो वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ तदर्थ नियुक्ति की तिथि तक ही उपरोक्त सब पैरा–7(क) के अनुसार देय होगा और वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के कारण भुगतान की गई राशि नियमानुसार कोषालय में जमा किया जाना होगा।

10/7/17

(आर. प्रसन्ना)
भा.प्र.से.
आयुक्त
स्वास्थ्य सेवायें,
छत्तीसगढ़

पृ0क्रमांकः एफ 01–131/2014/ रायपुर, दिनांक / /2017
प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, छत्तीसगढ़, नया रायपुर।
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर कृपया आदेश की प्रति संबंधितों को तामिल कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
5. आयुक्त कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर।
6. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, छत्तीसगढ़।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
8. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
9. जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छत्तीसगढ़।
12. संबंधित डॉ..
13. स्टाक फाईल।

आयुक्त
स्वास्थ्य सेवायें,
छत्तीसगढ़